

श्रीमान्जी

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक - पंजी0/11/2338 दिनांक 23. 11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वरीयत एवं बन्द वरीयत को खुलवाने बाबत अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वरीयत की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थीया आशा रानी पत्नी अविनाश चन्द्र अरोडा निवासी वार्ड सं0 20 श्रीकरणपुर व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र व आई.डी. प्रूफ एवं दो गवाहों के शपथ पत्र, आई.डी. प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत एक बन्द वरीयत सिल्ड लिफाफा रोफ कस्टडी में रखा जावे।

प्रार्थीया को गवाहान बुधराम पुत्र बीरबलराम एवं बोहड़ सिंह पुत्र करनैल सिंह ने पहचाना है। प्रार्थीया व गवाहों की शिनाख्त श्री बलविन्द्र सिंह बराड़ अधिवक्ता, श्रीगंगानगर ने की है एवं वकालतनामा पेश किया है।

अतः नियमानुसार एवं विधिसम्मत कार्यवाही से निर्धारित शुल्क जमा करवाकर सिल्ड पैकेट बंद लिफाफा रोफ कस्टडी में रखे जाने के आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय


